दिनांक 02.06.2021
प्रेस विज्ञप्ति 02/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फतेहगढ़/थाना कायमगंज

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

जनपद फतेहगढ़, थाना कायमगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गार्डन स्ट्रीट नम्बर–2 थाना अमजी कराई अन्ना नगर चेन्नई से पुरस्कार घोषित अभियुक्त समीअली को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद फर्रूखाबाद के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 320/2019 धारा 302/120बी/34 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कायमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–समीअली निवासी अहियापुर थाना कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद।

जनपद चन्दौली/थाना बलुआ

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **अपहृत सकुशल बरामद**
- **40 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **टाटा जेस्ट कार**
- **अवैध पिस्टल मय कारतूस बरामद**

दिनांक 02.06.2021 को थाना बलुआ, थाना मुगलसराय व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिलारीडीह अंडर पास पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जाने से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–राजीव सिंह घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–सुरेश के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर टेंगरा मोड़ मकान से अपहृत को सकुशल बरामद करते हुये अभियुक्तों के 02 अन्य साथी 3–अभिषेक उर्फ सत्यम् 4–प्रतीक को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 40 लाख 50 हजार रूपये नगद, टाटा जेस्ट कार व अवैध पिस्टल मय कारतूस बरामद हुये । घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 31.05.2021 को थाना बलुआ क्षेत्र के ग्राम रईया निवासी चिकित्सक की अज्ञात बदमाशों द्वारा अपहरण की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बलुआ पर मु0अ0सं0–117/2021 धारा 364 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण व अपहृत की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। अभियुक्तो से बरामद रूपये उक्त अभियोग से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजीव निवासी बसदेपुर थाना करंडा जनपद गाजीपुर।

2–सुरेश निवासी कुसमी थाना चुनार जनपद मिर्जापुर।

3—अभिषेक निवासी मीरापुर बसही थाना शिवपुर जनपद वाराणसी।

4—प्रतीक निवासी टापू थाना जुगैल जनपद सोनभद्र।

बरामदगी

1—40 लाख 50 हजार रूपये नगद ।

2— अवैध पिस्टल मय कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मंडी

- **लूट/चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **20 हजार रूपये नगद**
- **सोने/चॉदी के आभूषण**
- **टैब व मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 01.06.2021 की रात्रि थाना नई मंडी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान अलमासपुर चौक के पास से 02 अभियुक्तों 1—रोहित उर्फ कान्हा 2—अरूण उर्फ टोंटी को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 20 हजार रूपये नगद, सोने के (01 चैन, 01 मंगलसूत्र, 01 ताबीज, 02 कानों की बालिया), चॉदी के (01 हार, 14 चॉदी के पुराने सिक्के), 01 टैब, 03 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना नई मंडी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट/चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया व सोने/चॉदी के आभूषण लूट/चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नई मंडी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित उर्फ कान्हा निवासी ग्राम अलमासपुर थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर।

2–अरूण उर्फ टोंटी निवासी बर्फखाने वाली गली अलमासपुर थाना नईमंडी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1– चोरी के 20 हजार रूपये नगद।

2– सोने के (01 चैन, 01 मंगलसूत्र, 01 ताबीज, 02 कानों की बालिया)।

3– चॉदी के (01 हार, 14 चॉदी के पुराने सिक्के)

4– 01 टैब।

5– 03 मोबाइल फोन।

जनपद फिरोजाबाद/थाना सिरसागंज

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 02.06.2021 को थाना सिरसागंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एनएच–2 सोथरा फ्लाई ओवर के पास सर्विस रोड से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–निकेतन सहित 2–विक्की उर्फ ऋषि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त निकेतन के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानो पर हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग

पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त निकेतन थाना सिरसागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 272/2021 धारा 394/307 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिरसागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–निकेतन निवासी नगला भूपाल थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

2–विक्की उर्फ ऋषि निवासी नगला भूपाल थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 02 खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद सम्भल/थाना हयातनगर

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 02.06.2021 को थाना हयातनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डिलडावरा चौराहे से आढौल को जाने वाले लिंक मार्ग पर स्थित आम के बाग से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शाने आलम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना हयातनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 239/2021 धारा 224 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हयातनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शाने आलम निवासी चन्दायन थाना हयातनगर जनपद सम्भल।

जनपद आगरा/थाना हरीपर्वत

- **15–15 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा आदि बरामद**

दिनांक 02.06.2021 को थाना हरीपर्वत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पालीवाल पार्क के पास से 03 पुरस्कार घोषित अभियक्तो 1–किशन 2–नवल 3–मानसिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से 01 अवैध तमंचा आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिकन्दरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 288/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–किशन निवासी रामनगर 12 मोड सेक्टर– 07 फरीदाबाद, हरियाणा।

2–नवल निवासी रामनगर 12 मोड सेक्टर– 07 फरीदाबाद, हरियाणा।

3–मानसिंह निवासी रामनगर 12 मोड सेक्टर– 07 फरीदाबाद, हरियाणा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा आदि।

जनपद बिजनौर/थाना नागंल

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 02.06.2021 को थाना नागंल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त अल्लु उर्फ हलीम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नागंल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 46/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नागंल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अल्लु उर्फ हलीम निवासी दहीरपुर थाना नागंल जनपद बिजनौर।

जनपद एटा/क्राइम ब्रान्च

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.06.2021 की रात्रि जनपदीय क्राइम ब्रान्च पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोड वेज बस स्टैंड हाथरस से पुरस्कार घोषित अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जलेसर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 418/2000 धारा 381/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में एटा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपक निवासी शुक्ला डेरी के सामने बुजुर्ग रोड डबरा थाना डबरा ग्वालियर मध्यप्रदेश।

जनपद गाजीपुर/सादात

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल, जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 02.06.2021 की थाना सादात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मखदुमपुर बाजार के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रवि उर्फ रविशंकर को गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल, जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रवि उर्फ रविशंकर के विरूद्ध जनपद वाराणसी व गाजीपुर के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली जनपद वाराणसी से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सादात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रवि उर्फ रविशंकर निवासी कबीरचौरा थाना चेतगंज जनपद वाराणसी

बरामदगी

1—01 अवैध पिस्टल, जीवित कारतूस।

जनपद सम्भल/थाना रजपुरा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **260 बोरा नकली सीमेन्ट**
- **01 ट्रक आयशर कैन्टर बरामद**

दिनांक 02.06.2021 को थाना रजपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गवॉ—बबराला मार्ग ग्राम रजपुरा से 02 अभियुक्तों 1—रेहान 2—मदन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 260 बोरा नकली सीमेन्ट, 01 ट्रक आयशर कैन्टर बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रजपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रेहान निवासी ग्राम मिर्जापुर ककरावा थाना नखासा जनपद सम्भल।

2–मदन कुमार निवासी रजपुरा थाना रजपुरा जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–260 बोरा नकली सीमेन्ट।

2–मदन कुमार निवासी रजपुरा थाना रजपुरा जनपद सम्भल।

एसटीएफः जनपद अम्बेडकरनगर से वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी सूरज को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार।

आज दिनांक 02–06–2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना बसखारी, जनपद अम्बेडकरनगर के मु0अ0सं0 36–37–38/2021 धारा 395 भादवि में वांछित रू0 50 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित सूरज को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

सूरज पुत्र श्यामलाल उर्फ रामलाल, निवासी टैनी, थाना पवई जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः–

बसखारी अण्डरपास हाईवे जनपद अम्बेडकरनगर दिनांक 02–06–2021

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संगठित अपराधिक गैंगों के सक्रिय होकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह एस0टी0एफ0, एसटीएफ, फील्ड इकाई, वाराणसी द्वारा टीम के साथ जनपद अम्बेडकरनगर में धरातलीय अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी, कि आज दिनांक 02–06–2021 को विश्वस्त सूत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई

कि जनपद अम्बेडकरनगर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित जनपद आजमगढ़ का अर्न्तरजनपदीय गिरोह का कुख्यात लुटेरा सूरज बसखारी अण्डरपास हाईवे के पास मौजूद है तथा पंजाब भागने की फिराक में है यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी टीम मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅच कर वांछित अपराधी सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त सूरज ने बताया कि हम लोगों का एक गैंग है, जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र सरपतहा निवासी फागू हम लोगों के गैंग का लीडर है। हम लोगों के गैंग में मेरा भाई मिथुन व दिनेश उर्फ छोटू पुत्र राणा एवं मुन्ना निवासी टैनी थाना पवई, जनपद आजमगढ, रवि निवासी शाहपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर, अजय निवासी अतरडिहा, थाना सरपतहा, जनपद जौनपुर आदि शामिल हैं। गैग के सरगना फागू के पास बोलेरो और रवि के पास पिकअप गाड़ी है। हम लोगों द्वारा विभिन्न जनपदों में दर्जनों लूट की घटनायें की गयीं है। दिनांक 18/19—02—2021 की रात्रि में मैं अपने गैंग के साथ जनपद अम्बेडकरनगर के थाना बसखारी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बेला परसा व इसके आस—पास के गांव में कुल 03 स्थानों पर मारपीट कर डकैती डाला था, और हम लोग मौके से फरार हो गये थे। इन तीनों डकैती की घटनाओं के विरूद्ध थाना बसखारी, अम्बेडकरनगर अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें मैं वांछित था और मेरे गिरफ्तारी हेतु रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित हुआ था। इस डकैती की घटना में मेरा भाई मिथुन और दिनेश उर्फ छोटू गिरफ्तार हो चुके हैं।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को जनपद अम्बेडकरनगर थाना बसखारी पर पूर्व में पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2021, मु0अ0सं0 37/2021 एवं मु0अ0सं0 38/2021 धारा 395 भादवि में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः जनपद प्रतापगढ़ के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में दिन दहाड़े ज्वैलर्स की दुकान में लूट की सनसनीखेज घटना में पंजीकृत मु0अ0स0 21/2021 में वांछित रू0 50,000/— का पुरस्कार घोशित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक—02—06—2021 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज को जनपद प्रतापगढ़ के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में दिन दहाड़े ज्वैलर्स की दुकान में लूट की सनसनीखेज घटना में पंजीकृत

मु0अ0सं0—21/2021 धारा—395/397/120बी/412/504/506 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ में वांछित व इसी अभियोग में रू0 **50,000/— का पुरस्कार घोशित** अभियुक्त नावेद अख्तर को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :—

नावेद अख्तर पुत्र मो0व"ाीर, निवासी ग्राम गुलरा, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी :—

1— 01 अदद तमन्चा (315 बोर)।

2— 02 अदद जिन्दा कारतूस (315 बोर)।

3— नकद 230/— रूपया।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय

प्रतापगढ़—प्रयागराज मुख्य मार्ग पर भंगवा चुंगी के आगे श्री सीताराम धाम मन्दिर के पास, बैंक आफ बडौदा, जोगापुर से करीब 50 कदम पहले, दिनांकः—02—06—2021 समय 14:50 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्दे"ात किया गया था। उक्त निर्दे"ा के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनाकः 02—06—2021 को फील्ड इकाई, प्रयागराज की एक टीम जनपद प्रतापगढ़ के कोतवाली नगर क्षेत्र में आपराधिक अभिसूचना संकलन में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर से ज्ञात हुआ कि मु0अ0सं0—21/2021 का वांछित व रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित अभियुक्त नावेद पुलिस से बचने के लिए मुख्य चौराहा छोड़कर भंगवा चुंगी के आगे प्रतापगढ़—प्रयागराज मुख्य मार्ग पर किसी सवारी गाड़ी का इन्तजार कर रहा है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना पर वि"वास करके उ0नि0 श्री वेद प्रका"ा पाण्डेय, श्री अनिल कुमार सिंह, मु0आरक्षी राजे"ा कुमार, मु0आरक्षी प्रभन्जन पाण्डेय, आरक्षी सुनील कुमार की टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर पहुँचकर आव"यक न्यूनतम बल

प्रयोग कर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई है।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त नावेद उपरोक्त ने बताया कि वह ग्राम गुलरा, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद वह सूरत, (गुजरात) एवं मुम्बई (महाराष्ट्र) में छिपकर रहने लगा। लूटे हुये माल के कुछ जेवर उसने उपरोक्त लूट में शामिल इर"ाद, शुभम, शेबू, शाहिद बाबा आदि के साथ मिलकर सूरत में बेच कर पैसो को आपस में बांट लिया। पैसों के बंटवारे के बाद शेबू और शुभम शाहिद बाबा के साथ कहीं चले गये तथा कुछ लोग वापी, गुजरात में किराये का कमरा लेकर फरारी में छिपकर रहने लगे। बाद में धीरे–धीरे उसको एवं शाहिद बाबा को छोड़कर सभी लोग पकड़े गये। उसे फरवरी 2021 में ही मालूम चल गया था कि उसके ऊपर 50 हजार रूपये का पुरस्कार हो गया है फिर वह गुजरात, मुम्बई, दिल्ली, बिहार, असम एवं पि"चम बंगाल में छिप–छिप कर रहने लगा। इधर उसके पास पैसे भी समाप्त हो गये थे, जिसके इन्तेजाम में आया था कि आप लोगों द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

पूछताछ पर अभियुक्त ने यह भी बताया कि उसके ऊपर इसके अलावा लूट के कई अन्य मुकदमें पहले से भी विभिन्न थानों प्रतापगढ़ के थाना रानीगंज, मान्धाता, जेठवारा, लालगंज एवं कोतवाली नगर व जनपद प्रयागराज के थाना मऊआइमा, थरवई में पंजीकृत है। हम लोगों द्वारा वर्ष 2015 में मऊआइमा, जनपद प्रयागराज में 08 कि0ग्रा0 चॉदी लूटा गया था। कई मुकदमें में वांछित होने पर वर्ष 2018 में थाना रानीगंज में पुलिस मुठभेड़ में मुझे गोली भी लगी थी, जिसमें मैं घायल भी हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0–21/2021 धारा–395/397/120बी/412/504/ 506 भादवि और धारा–3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी।

<u>नावेद अख्तर पुत्र मो0 वशीर, निवासी ग्राम गुलरा, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ का ज्ञात आपराधिक इतिहास :–</u>

क्र0सं0	**मु0अ0सं0**	**धारा**	**थाना**	**जनपद**

01.	91 / 2015	394 भादवि	रानीगंज	प्रतापगढ़
02.	99 / 2015	392 भादवि	मान्धाता	प्रतापगढ़
03.	222 / 2015	392 भादवि	मऊआइमा	प्रयागराज
04.	228 / 2015	392 भादवि	थरवई	प्रयागराज
05.	252 / 2015	395 / 397 / 412 भादवि	मऊआइमा	प्रयागराज
06.	190 / 2016	2 / 3 गुण्डा अधिनियम	रानीगंज	प्रतापगढ़
07.	17 / 2017	394 भादवि	रानीगंज	प्रतापगढ़
08.	29 / 2017	392 भादवि	रानीगंज	प्रतापगढ़
09.	66 / 2017	379 / 411 भादवि	रानीगंज	प्रतापगढ़
10.	191 / 2017	394 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
11.	15 / 2018	307 / 419 / 420 / 467 / 468 भादवि	रानीगंज	प्रतापगढ़
12.	281 / 2018	392 / 411 भादवि	रानीगंज	प्रतापगढ़
13.	586 / 2018	394 / 411 भादवि	लालगंज	प्रतापगढ़
14.	100 / 2019	2 / 3 गैंगस्टर एक्ट	रानीगंज	प्रतापगढ़
15.	**21 / 2021**	**395 / 397 / 120बी / 412 / 504 / 506 भादवि (वांछित)**	**को0नगर**	**प्रतापगढ़**

———————